

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।
- (v) उपकर जमा करवाने तक लगाने की अवधि कावेदक को होगी

**एकल स्वामी केवल आवासीय प्रोजेक्ट**  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 930 दिनांक 18/03/2021

प्राथमिकता सीमती बरजा दासनी पत्नी श्री कहेया लाल

जी+1  
आवासीय  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पंश कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 10825 (जमा कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 9669/6800, 680) जरिये रसीद संख्या 9669/6800, 6801 दिनांक 18/03/2021 को जमा करा दी है ।

श. No: 65-ए प्लान डिवाइ  
खसरा प्लान 1831/3  
"आशापूर्णा नैनी  
एकेडमी"

19/3/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

**दक्षिण**

Received

*[Signature]*

19/03/21

7737492242